12 3/19 प्रकरणों में वादिनी वादी हाजिर प्रकरणों में वादिनी वादी कोई अधिवक्ता नहीं करते है अतः कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त कि जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी